

दिनांक 18.06.2018

द्वितीय चक्र में भाग लेने हेतु अग्रिम शुल्क की सूचना

भारत के राजपत्र दिनांक 21 मई 2018 में प्रकाशित "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद" संशोधन अधिसूचना के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए नियमानुसार पात्र अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिए रू0 10 हजार एवं नियमानुसार पात्र आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा रू0 5 हजार की राशि द्वितीय चरण की च्वाईस फिलिंग के समय अग्रिम शुल्क के रूप में ऑनलाईन जमा करानी होगी। निजी महाविद्यालयों हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम शुल्क रू0 1 लाख देय होगा। इस अग्रिम शुल्क का समायोजन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम के नियम 12 (7) के अनुसार किया जायेगा।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश